उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-986/2024 2040/41-1-2024-सी०एन०-1541786-2024
लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 2024
शासनादेश संख्या-826/2024/-/41-1-2024-002-सीएन-1541786/2024, दिनांक 25.10 2024 का
शुद्धि-पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-7132/मु०मु०प०सं०यो०/(43)/2020, दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 द्वारा अवगत कराया गया है शासनादेश संख्या-826/2024/-/41-1-2024-002-सीएन-1541786/2024. दिनांक 25.10.2024 द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ के वि०स० क्षेत्र अलीगढ़ शहर रामलीला ग्राउण्ड/गौशाला पार्क के पर्यटन विकास कार्य हेतु जीएसटी की धनराशि रू0 4,33,458/- स्वीकृत की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन संख्या 6 में मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत का अनुरोध किया गया है।

2 उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या -826/2024/-/41-1-2024-002-सीएन-1541786/2024, दिनांक 25.10.2024 द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ के वि०स० क्षेत्र अलीगढ़ शहर रामलीला ग्राउण्ड/गौशाला पार्क के पर्यटन विकास कार्य हेतु जीएसटी की धनराशि रू0 4.33.458/- की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त शासनादेश के पृष्ठांकन संख्या 6 में मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़ अंकित है।

3- अतः उक्त शासनादेश संख्या -826/2024/-/41-1-2024-002-सीएन-1541786/2024, दिनांक 25.10.2024 के पृष्ठांकन संख्या-6 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ / वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 25.10.2024 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3.महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।
4 जिलाधिकारी अलीगढ़।
5. अपर आयुक्त (ग्रेड-1) वाणिज्य विभाग, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़ वरिष्ठ कोषाधिकारी, अलीगढ़।
8. उपनिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
11. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० अलीगढ़।
12 क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल आगरा।
13. वित्त (व्यय-नियन्त्रक) अनुभाग-7
14 गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।